

सीएसआईआर - केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
पिलानी (राजस्थान) 333031

सं.35(4)/2011-रा.भा.

दिनांक 25.07.2017


कार्यालय ज्ञापन

विषय : संस्थान में वर्ष 2016-17(अगस्त 2016 – से जुलाई 2017) के लिए लागू राजभाषा प्रोत्साहन योजनाएँ -
प्रविष्टियों का आमंत्रण।

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 28 नवंबर 2016 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार संस्थान में राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए विगत वर्षों में लागू निम्नलिखित राजभाषा प्रोत्साहन योजनाओं को समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 06.01.2017 द्वारा वर्ष 2016-17(अगस्त 2016 – से जुलाई 2017) के लिए लागू किया गया था -

1. सीएसआईआर-सीरी मूल हिंदी टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन योजना।
[सं.35(4)/2011-रा.भा. (योजना -1), दिनांक 06.01.2017]
2. सीएसआईआर-सीरी मूल हिंदी आशुलिपि/टंकण प्रोत्साहन भत्ता योजना।
[सं.35(4)/2011-रा.भा. (योजना -2), दिनांक 06.01.2017]
3. सीएसआईआर-सीरी हिंदी श्रुतलेख (डिक्टेशन) प्रोत्साहन योजना (अधिकारियों के लिए)
[सं.35(4)/2011-रा.भा. (योजना -3), दिनांक 06.01.2017]
4. सीएसआईआर-सीरी वैज्ञानिक/तकनीकी/प्रशासनिक कार्य हिंदी में करने हेतु प्रोत्साहन योजना।
[सं.35(4)/2011-रा.भा. (योजना -4), दिनांक 08.12.2015]
5. सीएसआईआर-सीरी हिंदी में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार योजना।
[सं.35(4)/2011-रा.भा. (योजना -5), दिनांक 06.01.2017]

उपर्युक्त योजनाओं की अवधि 31 जुलाई 2017 को समाप्त हो रही है। अतः सभी सहकर्मी इन योजनाओं में सम्मिलित होने के लिए कृपया अपनी प्रविष्टियाँ निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यतः अपने-अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से दिनांक 9 अगस्त 2017 तक राजभाषा प्रकोष्ठ में भिजवाएँ ताकि इन प्रविष्टियों को मूल्यांकन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सके। साथ ही सभी अनुभाग/विभाग के प्रमुख अनुभागों/विभागों को हिंदी में सर्वाधिक कार्य करने के लिए पुरस्कार स्वरूप भेंट की जाने वाली "राजभाषा चल वैजयंती" के लिए भी निर्धारित प्रपत्र में अपनी प्रविष्टि भेजें। प्रविष्टियों के प्रपत्र संस्थान की वेबसाइट पर "फॉर्म/Form" नामक लिंक में "राजभाषा संबंधी प्रपत्र/Rajbhasha Related Forms" नामक सबलिंक पर उपलब्ध हैं।


(रमेश बौरा)
हिंदी अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. निदेशक, सीएसआईआर-सीरी
2. प्रशासन नियंत्रक, सीएसआईआर-सीरी
3. सभी अनुभागाध्यक्ष/प्रभागाध्यक्ष/
क्षेत्र समन्वयक(एरिया कोऑर्डिनेटर) – कृपया इसे अपने सभी अधीनस्थ सहकर्मियों की जानकारी में ला दें।
4. प्रभारी, एन एम सी – कृपया इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करवा दें।
5. सूचना पट्ट